# हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकारण मण्डल–मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2015 से 3/2016 तक

## भाग–एक

**1 प्रस्तावनाः–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28 (3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4 (डी) 1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 04/2015 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य निष्पादन किया गया।

**(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी ने मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–**

| क्र0सं0 | अधिशासी अभियन्ता का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री जी0आर0 ठाकुर | 01.04.2015 से 31.03.2016 |

**(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी के अवधि 04/2015 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः–**

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | विविध अग्रिम राशियों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना | 4 | 38.52 |
| 2 | विभिन्न निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना | 5 | 1064.58 |
| 3 | रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य शेष राशि | 6 | 43.85 |
| 4 | जल प्रभार के रूप में वसूली योग्य शेष राशि | 7 | 0.76 |
| 5 | Partially self financing Scheme at में संविदाकार से वसूली योग्य राशि | 8 (क) व (ग) | 3.67 |
| 6 | रा0व0मा0पा0 (बाल) बिलासपुर के भवन निर्माण में संविदाकार को अधिक भुगतान | 9 (क) | 0.13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रा0उ0वि0 धमाल के निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान | 11 (क) व (ख) | 0.25 |
| 8 | स्टील व सीमेन्ट खरीद हेतु जारी अग्रिम राशियों का समायोजन न करना | 18 | 143.58 |
| 9 | अधिशासी अभियन्ता हेतु निर्मित आवास का लगभग सात वर्षों से प्रयोग न करने के कारण निष्फल व्यय करना | 23 | 20.22 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमुडा मण्डल मण्डी के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–क"** में दर्शाई गई है। अवधि 04/1994 से 03/2015 तक मण्डल से सम्बन्धित कुल 63 पैरे समायोजन हेतु लम्बित थे, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है। मण्डल द्वारा गत कई वर्षों से लम्बित चले आ रहे अंकेक्षण पैरों पर कार्यवाही न करना मण्डल प्रशासन की पैरों के सम्पूर्ण निपटारे हेतु उदासीनता एवं लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है। अतः यह प्रकरण उच्चधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि लम्बित अंकेक्षण पैरों के समाधान हेतु तुरन्त विशेष पग उठाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| **क्र0सं0** | **वित्तीय वर्ष** | **शेष लम्बित पैरों की सं0** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000–2001 | 1 | |
| 2 | 2001–2002 | 1 | |
| 3 | 2003–2004 | 1 | |
| 4 | 2005–2006 | 2 | |
| 5 | 2006–2007 | 1 | |
| 6 | 2007–2008 | 3 | |
| 7 | 2008–2009 | 1 | |
| 8 | 2009–2010 | 6 | |
| 9 | 2010–2011 | 6 | |
| 10 | 2011–2012 | 8 | |
| 11 | 2012–2013 | 6 | |
| 12 | 2013–2014 | 12 | |
| 13 | 2014–2015 | 13 | |
| 14 | 1997–1998 | 1 | (नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित) |
| 15 | 1999–15.1.2001 | 1 | (नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित) |
| | **योग** | **63** | |

## 2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी के अवधि 04/2015 से 03/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2017 से 19.04.2017 तक श्री सतपाल सिंह ठाकुर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के पर्यवेक्षण में मण्डल के मण्डी स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु माह 07/2015 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

## 3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के अवधि 04/2015 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु देय अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुचख्यालय से अलग से अनुरोध किया जाएगा।

## 4 विविध अग्रिम ₹38.52 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

### (क) दिनांक 31.3.2016 तक स्टॉक अग्रिम ₹0.14 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिमुडा मण्डल मण्डी के खातों में दिनांक 31.03.2016 को ₹14000 समायोजन हेतु शेष थी, जिनका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। नियमानुसार स्टॉफ अग्रिम राशियों का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित होता है, लेकिन उक्त अग्रिम राशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त इनके शीघ्र समायोजन हेतु उचित पग उठाये जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ख) अन्य अग्रिम राशियाँः–

मण्डल के लेखों अनुसार दिनांक 31.3.2016 को निम्न अन्य अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शेष थी जिनका नियमानुसार निर्धारित समयावधि में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

| क्र0सं0 | अग्रिम राशि का विवरण | राशि (₹) | परिशिष्ट |
|---|---|---|---|
| 1 | गर्म वस्त्र अग्रिम | 24750 | **परिशिष्ट "ग"** |
| 2 | आवास निर्माण अग्रिम | 334999 | **परिशिष्ट "घ"** |
| 3 | विविध अग्रिम | 3478649 | **परिशिष्ट "ङ"** |
| | **योग** | **3838398** | |

## (ग) आवश्यकता से अधिक स्टॉफ अग्रिम राशियों का आहरण करने के कारण राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन करनाः–

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये स्टॉफ अग्रिम से सम्बन्धित प्रदत्त सूचना, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है, के अवलोकन में पाया गया कि मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रति माह स्टॉफ अग्रिम के रूप में आवश्यकता से अधिक राशियों का आहरण करने के उपरान्त माह के अन्त में अथवा आहरण से आगामी माह में उस राशि में से अधिकतर राशि व्यय न होने के कारण अव्ययित शेष (Unspent Balance) को वापिस मण्डल खाते में जमा करवाया जा रहा था, जिससे स्पष्ट विदित होता है कि नियमों के प्रतिकूल मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक स्टॉफ अग्रिम के आहरण की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि Cannon of Financial Properiety के अनुसार राशि खजाने से तभी आहरित की जाए जब इसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता तथा वह भी किसी विशेष मौके की जरूरतों से अनावश्यक रूप से अधिक न हो तथा ऐसे में राशि के अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मण्डल खाते में जमा की गई अव्ययित राशियों पर नियमानुसार देय दण्ड ब्याज की गणना करने उपरान्त राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में उक्त वर्णित अनियमितता की पुनरावृति पर रोक लगाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से बचा जा सके।

**5 विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर दिनांक 31.3.2016 तक प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण ₹1064.58 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर दिनांक 31.3.2016 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण विभागो से ₹1064.58 लाख वसूली हेतु शेष थी जिस का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। डिपोजिट कार्यों पर कुल जमा प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि हिमुडा द्वारा स्वयं उच्च दरों पर ऋण प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किया जाता है। अतः यह अनियमितता हिमुडा मण्डल प्रशासन के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा द्वारा निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय न किया जाए। इसके अतिरिक्त वर्णित विभागों से अधिक व्यय की गई राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6 दिनांक 31.03.2016 तक विभिन्न आवास बस्तियों के रख रखाव प्रभार के रूप में ₹43.85 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के अन्तर्गत विभिन्न उपमण्डलों की आवास बस्तियों के रख रखाव से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक रख–रखाव प्रभार के रूप में ₹4385280 की वसूली लम्बित थी, जिसका उपमण्डल बार विवरण निम्नलिखित हैः–

| **क्र0सं0** | **आवास बस्ती का नाम** | **उप मण्डल का नाम** | **दिनांक 31.3.2016 को वसूली योग्य शेष राशि** |
|---|---|---|---|
| 1 | आवास बस्ती, धोन्दी | मण्डी | 253091 |
| 2 | आवास बस्ती, सन्यारड़ | मण्डी | 123572 |
| 3 | आवास बस्ती, भ्यूली | मण्डी | 651354 |
| 4 | आवास बस्ती, दड़ूही | हमीरपुर | 140599 |
| 5 | आवास बस्ती, फेस–1 | बिलासपुर | 803223 |
| 6 | आवास बस्ती, फेस–2 | बिलासपुर | 19335 |
| 7 | आवास बस्ती, शाही नाला | कुल्लू | 244811 |
| 8 | आवास बस्ती, देवता ग्राउंड | कुल्लू | 283593 |
| 9 | आवास बस्ती, ब्यासा मोड | कुल्लू | 1865702 |
| | | **योग** | **4385280** |

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों के रख रखाव की वसूली प्रभावशाली ढंग से नहीं की जा रही थी और न ही इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर उचित एवं प्रभावी पग उठाये गये थे। परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 में वसूली हेतु शेष ₹3787898 से बढ़कर ₹4385280 हो गया है। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के विशेष ध्यान में तुरन्त आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

**7 विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार की ₹0.76 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान हिमुडा मण्डल मण्डी के अधीन विभिन्न आवासीय बस्तियों के जल प्रभार से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न आवासीय बस्तियों से जल प्रभार की ₹75973 वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्र0सं0 | आवास बस्ती का नाम | उप मण्डल का नाम | दिनांक 31.3.2016 को वसूली योग्य शेष राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | आवास बस्ती, धोन्दी | मण्डी | 15477 |
| 2 | आवास बस्ती, सन्यारड़ | मण्डी | 22187 |
| 3 | आवास बस्ती, दड़ूही | हमीरपुर | 314 |
| 4 | आवास बस्ती, नया नगर | हमीरपुर | 5358 |
| 5 | आवास बस्ती, शाही नाला | कुल्लू | 24259 |
| 6 | आवास बस्ती, देवता ग्राउंड | कुल्लू | 8378 |
| | | **योग** | **75973** |

अतः जल प्रभार की लम्बित ₹75973 की वसूली हेतु शीघ्र उचित पग उठाये जाने सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **कार्य का नामः–** Partially self financing Scheme at Bilaspur H.P.

Sh. C/O Additional 16 No. Type-III Flats including internal & External services and development of site.

अनुबन्ध संख्या 4 ऑफ 2013–14

संविदाकार का नामः– श्री राकेश गोयल

माप पुस्तिकाः– 1484, 1483, 1485

पृष्ठ 56–71, 62–92, 77–80

अनुमानित राशिः– ₹24467373

आबंटित राशिः– ₹29585297

आबंटन पत्र संख्या HIMUDA/MD/W-28/2013-5312-22 दिनांक 20.1.2014

चलत बिल संख्याः– चतुर्थ चलत बिल

**(क) संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अनुसार ₹1.15 लाख की वसूली न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान उक्त वर्णित कार्य से सम्बन्धित सीमेन्ट खपत विवरण व भण्डार से जारी किये गये सीमेन्ट का उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका 1483 पृष्ठ 81 अनुसार उक्त चलत बिल की अन्तिम रिकार्ड प्रविष्टि दिनांक 24.5.2015 को की गई थी एवं इस दिन तक भण्डार से संविदाकार को 5250 बैग सीमेन्ट जारी किया गया था। (इस चलत बिल तक जारी कुल 5668 सीमेन्ट बैग में से शेष 418 सीमेन्ट बैग भण्डार से दिनांक 5.6.2015 व 29.6.2015 को जारी किया गया था) जबकि संलग्न खपत विवरण अनुसार उक्त चलत बिल तक कुल थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) 5973 सीमेन्ट बैग दर्शाई गई है। उक्त थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) में यदि 3**%** मान्य विचलन (Approvel Deviation) को कम कर दिया जाए (अनुबन्ध क्लॉज 42 (ii) के अनुसार) तो भी सीमेन्ट की वास्तविक खपत 5794 बैग (5973–179 (3**%** Deviation) बनती है। जिसके विरूद्ध अन्तिम रिकार्ड प्रविष्टि तक संविदाकार को केवल 5250 सीमेन्ट बैग ही भण्डार से जारी किए गए थे। इस प्रकार संविदाकार द्वारा कुल 544 सीमेन्ट बैग की खपत मान्य विचलन (Approval Deviation) से कम की गई थी। अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अनुसार "Over this Theoretical quantity of cement shall be allowed a varation. In the event of it being discevered that the quantity of cement used is less than the quantity ascertained. As here in before provided (allowing variation on the minus side as stipuled above) the cost of the quantity of cement not so used shall be receverd from the contractor on the basis of the stipulated pointed issue rate including storage charges and carriage at site. अतः अनुबन्ध के उक्त वर्णित क्लॉज क अनुसार संविदाकार से 544 सीमेन्ट बैग की राशि की वसूली निर्गम दर (issue Rate) पर की जानी अपेक्षित है चूँकि मण्डल स्तर पर उस समय सीमेन्ट की निर्गमन दर ₹211 प्रति बैग थी। इसलिए संविदाकार से कुल ₹114784 (544 बैग x₹211) की वसूली देय बनती है, जिसकी वसूली शीघ्र करते हुए राशि को मण्डल खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** संविदाकार को जारी किये गये सीमेन्ट का मिलान सम्बन्धित बिन कार्ड (Bin Card) से करने पर पाया गया कि इन्डेन्ट नं0 9268 दिनांक 19.3.15 द्वारा संविदाकार को 540 बैग

सीमेन्ट जारी किया दर्शाया गया था किन्तु बिन कार्ड (Bin Card) 378 (जोकि उस समय उपमण्डल में सीमेन्ट प्राप्त/जारी करने हेतु लगाया गया था) में उक्त जारी 540 बैग सीमेन्ट की कोई भी प्रविटि/गणना नहीं की गई थी। जबकि संविदाकार से वर्णित 540 बैग सीमेन्ट की कटौती उसके चलत बिलों में से कर दी गई थी। इस प्रकार बिन कार्ड/सीमेन्ट भण्डार में 540 बैग सीमेन्ट की गणना/प्रविष्टि न पाए जाने से संदेह उत्पन्न होता है कि सीमेन्ट भण्डार खाते का वास्तविकता कि अपेक्षा काल्पनिक तौर पर मिलान किया जा रहा है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका उचित प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं किया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सीमेन्ट के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय स्त्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति का पता लगाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को सम्पूर्ण अभिलेख सहित अवगत करवाया जाए।

**(ग) संविदाकार से स्टील की ₹2.52 लाख की कम वसूली करनाः—**

माप पुस्तिका 1484 पृष्ठ 64 अनुसार संविदाकार के चतुर्थ चलत बिल तक निम्नविवरणानुसार कुल 57.0845 एम0टी0 स्टील की खपत की जा चुकी थी, किन्तु चलत बिल के साथ संलग्न स्टील जारी करने व खपत विवरण अनुसार उक्त चलत बिल तक स्टील की कुल खपत योग/गणना की त्रुटि के कारण 57.0845 एम0टी0 की अपेक्षा केवल 51.814 एम0टी0 ही दर्शाई गई थी जिसके कारण ₹47670 प्रति एम0टी0 की दर से कुल 51.8 एम0टी0 की ही वसूली संविदाकार से की गई थी।

| 8mm | 10mm | 12MM | 16mm | 20mm | 22mm | 25mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26284.05 Kg | 2441.91 Kg | 4878.35 Kg | 10514.07Kg | 11686.61Kg | 98.34Kg | 1181.12Kg |

इस प्रकार कुल 52.84 क्विंटल अथवा (5.284) 5.284 एम0टी0 स्टील, जिसका निगम दर अनुसार ₹251888.28 (5.284X47670) मूल्य बनता है कि वसूली संविदाकार से कम करने के कारण उन्हें मण्डल खजाने की कीमत पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर उक्त राशि की शीघ्र वसूली भी संविदाकार से सुनिश्चित की जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 **कार्य का नामः—** C/O G.S.S.S. (Boys) at Bilaspur Distt. Bilaspur

(Sh. C/O Additional accommodation for Science Block including internal W/S & SI and 5000 Lt. capacity rain water Harvesting Tank)

अनुबन्ध संख्याः— 16 of 2014-15

संविदाकार का नामः— श्री सुरेश पाल

माप पुस्तिकाः— 1490 पृष्ठ 46 से 67 व 1491 पृष्ठ 49 से 69

अनुमानित राशिः— ₹8083143

आंबटित राशिः— ₹8477968

आबंटन पत्र संख्याः— HIMUDA/MD/W-28/2013-52.5-5215 दिनांक 16.01.2014

बिल संख्याः— चौथा चलत बिल

**(क) संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अनुसार ₹0.13 लाख की वसूली न करनाः—**

अंकेक्षण के दौरान उक्त निर्माण कार्य के चौथे चलत बिल ($4^{th}$ Running Bill) के साथ संलग्न सीमेन्ट खपत विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें चतुर्थ चलत बिल तक निष्पादित निम्नलिखित मदों की सीमेन्ट खपत को शामिल नहीं किया गया था।

| क्र0सं0 | मद सं0 | मद का विवरण | माप पुस्तिका/पृ0 | निष्पादित मात्रा | खपत दर | कुल खपत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11 | P.L. C.C. 1:2:4 reinforced concrete chajja in all loads & lifts | 1490/53 | 11.32m3 | 6.40 | 72.45 |
| 2 | 24/42 | P/L Composite flooring of 25mm thick kota stone/ 20mm thick white makrana marble in all loads & lifts | 1490/60 | 315.58m2 | 0.26 | 82.85 |
| 3 | 26/46 | P/L masble wash inflooring 20mm thick base in cement mortor 1:3 in all loads & lifts | 1490/61 | 33.57m2 | 0.356 | 11.95 |
| | | | | | **योग** | **166.45 Bag** |

इसके अतिरिक्त वर्णित सीमेन्ट खपत विवरण में योग/गणना के त्रृटि के कारण वास्तविक थ्योरिटिकल खपत 1852 बैग के स्थान पर थ्योरिटिकल 1835.36 अर्थात 1836 बैग सीमेन्ट बनती थी तथा जिसके विरूद्ध माप पुस्तिका 1490 पृष्ठ 66 अनुसार संविदाकार से 1882 बैग सीमेन्ट की वसूली की गई थी। इस प्रकार उक्त वर्णित मदों की सीमेन्ट खपत को कुल खपत विवरण में जमा करने उपरान्त वास्तविक थ्योरिटिकल खपत (Theoritical

Consumption) 2002.07 सीमेन्ट बैग 166.45 बनती है तथा इसें यदि 3**%** की मान्य विचलन (Approved Deviation) कम किया जाए तो भी कुल खपत 1942 सीमेन्ट बैग होनी चाहिए, जबकि संविदाकार से उक्त बिल तक मात्र 1882 सीमेन्ट बैग की राशि की वसूली ही की गई थी जोकि मान्य विचलन (Approved Deviation) से बैग (1942–1882) कम थी। अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अनुसार "Over this theoretical quantity of cement shall be allowed a variation. In the event of it being discovered that the quantity of cement issued is less than the quantity ascertaind as here in before provided (Allowing variation in minus side as stipulated above) the cost of the quantity of cement not to used shall be recovered from the contractor on the basis of stipulated issue rate including shrotage charges and carriage to site." अतः अनुबन्ध के उक्त वर्णित क्लॉज अनुसार संविदाकार से 60 बैग सीमेन्ट की राशि की वसूली निर्गम दर से की जानी अपेक्षित है। मण्डल स्त्तर पर उस समय सीमेन्ट की निर्गम दर (Issue Rate) ₹211 प्रति बैग था। अतः इस प्रकार संविदाकार से कुल ₹12660 (60 बैग x₹211) की वसूली अपेक्षित है, जिसे शीघ्र संविदाकार से करने उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** अंकेक्षण में पाया गया कि स्टील की खपत विवरण में स्टील की वास्तविक व थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) Dia wise न दर्शा कर संकलित रूप से एक मुश्त दर्शाई गई थी, जोकि अनियमित है क्योंकि ऐसी स्थिति में भण्डार से जारी Dia wise Steel की खपत, शेष व वसूली इत्यादि की अंकेक्षण में जाँच/सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में स्टील की खपत Dia Wise दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**10** **कार्य का नामः–** C/O 136 No. Flats including internal & External services under Integrated Housing & Development Programme at Hamirpur

अनुबन्ध संख्याः– 52 ऑफ 2009–10

संविदाकार का नामः– श्री राकेश गोयल

माप पुस्तिकाः– 1314

अनुमानित राशि :–₹18438075

आबंटित राशिः– ₹36775493

आबंटन पत्र संख्या :– HIMUDA/MD/W-28/2009-5303-11 दिनांक 03.12.2009

चलत बिल संख्या चन्द्रहवाँ एवं अन्तिम बिल

**(क) संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज 42 (iii) के अनुसार ₹0.12 लाख की वसूली न करना:–**

उक्त चलित बिल के स्टील से सम्बन्धित खपत विवरण (Consumption Statement) का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पन्द्रहवें व अन्तिम बिल ($15^{th}$ & Final Bill) तक संविदाकार को 10MM dia का 6.40 M.T. स्टील जारी किया गया था तथा इसके विरूद्ध संविदाकार द्वारा 5.863 M.T. स्टील की वास्तविक खपत दर्शाई गई थी। (उक्त वर्णित वास्तविक खपत में +5% मान्य विचलन (Approved Deviation) जोकि 0.293 M.T. बनती है, जमा करने उपरान्त कुल खपत 6.156 M.T. से अधिक देय नहीं बनती है) किन्तु मण्डल द्वारा मान्य विचलन जमा करने उपरान्त 6.156 M.T. स्टील (10MM dia) के विरूद्ध संविदाकार को 6.40 M.T. स्टील (10MM Dia) जारी किया गया था एवं इतने ही स्टील की वसूली उससे की गई थी। इस प्रकार संविदाकार को 0.244 M.T. 10MM dia का स्टील अधिक जारी करके उसकी वसूली की गई थी जबकि नियमानुसार वर्णित स्टील की 0.244 MT मात्रा को भण्डार को वापिस लौटाया जाना था। अनुबन्ध के क्लॉज 42 (iii) के अनुसार उनसे स्टील की निर्गम दर से दोगुनी दरों पर वसूली की जानी अपेंक्षित थी। चूँकि मण्डल द्वारा वर्णित अधिक जारी की गई स्टील 0.244 M.T. (10mm dia) की वसूली निर्गमन दर पर कर ली गई है इसलिए शेष वसूली ₹12063.36 (0.244MT x 49440) बनती है जिसकी संविदाकार से शीघ्र वसूली करने के उपरान्त मण्डल के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** अंकेक्षण के दौरान उक्त निर्माण कार्य की विचलन सूची (Deviation Statement) के अवलोकन पर पाया गया कि कुल विचलन (Deviation) ₹14435900.33 को अधिशाषी अभियन्ता (Executive Engineer) से अनुमोदित करवाया गया था। जबकि नियमानुसार इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.) से अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित था। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ग)** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य दिनांक 31.7.2013 को पूर्ण हो गया था किन्तु संविदाकार को पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/MEMO: Sh. Rakesh Goel/2012-2737-38 दिनांक 21.7.2012 द्वारा दिनांक 30.9.2012 तक ही कार्य पूर्ण करने हेतु बढ़ौतरी प्रदान की गई थी। इस प्रकार संविदाकार द्वारा कार्य 10 माह देरी से पूर्ण करने के कारण उनके विरूद्ध अनुबन्ध के क्लॉज

संख्या 2 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी जोकि मण्डल द्वारा नहीं की गई थी। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुबन्ध क्लॉज–2 अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(घ)** उक्त निर्माण कार्य में संविदाकार से निष्पादित करवाई गई अतिरिक्त मदों के दर विश्लेषण (Analysis of Rates) बार–2 आग्रह करने पर भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में ठेकेदार को इन मदों के प्रदत्त दरों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ङ)** उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण को 17–20 की टेस्ट रिपोर्ट (Test Report) भी सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि M-20 की खपत दर की तदानुसार सत्यापना की जा सके।

**11 कार्य का नामः–** Constructuion of School Building under RMSA in H.P.

Sh:- C/O Block for 2 Nos Class rooms including internal WS & S.I. to G.H.S,. at Ghay, Distt. Bilaspur H.P.

अनुबन्ध संख्याः– 6 of 2013-14

संविदाकार का नामः– श्री कर्म सिंह

माप पुस्तिकाः– 1421 पृष्ठ 61 से 96, 1482 पृष्ठ 56 से 82

अनुमानित राशिः– ₹3349400

आबंटित राशिः– ₹4422998

आबंटन पत्र संख्याः– HIMUDA/MD/W-28/2013-5833-43 दिनांक 20.02.2014

चलत बिल संख्याः– चतुर्थ चलत बिल

**(क) गलत योग/गणना के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतानः–**

निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य की विभिन्न कार्य मदों की माप पुस्तिका 1482 में दर्ज प्रविष्टियों/रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निष्पादित कार्य प्रमात्रा के गलत योग/गणना करने के कारण संविदाकार को ₹10047.50 का अधिक भुगतान किया गया हैः–

| क्र0 सं0 | कार्य मद सं0 | माप पुस्तिका सं0 | पृ0सं0 | मद का विवरण | वास्तविक कार्य प्रमात्रा | माप पुस्तिका में दर्ज कार्य प्रमात्रा | अधिक ली गई कार्य प्रमात्रा | दर (₹) | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/44 | 1482 | 58 | 6mm cement plaster to ceiling in cement morter 1:3 (etc) | 377.51 m2 | 379.59 m2 | 208 m2 | 125 per m2 | 260.00 |
| 2 | 21/48 | 1482 | 67 | Distempring for coat with oil sound Distempring in all leads & lift (etc) | 978.47 m2 | 997.26 m2 | 18.79 m2 | 30 per m2 | 563.70 |
| 3 | 22/49 | 1482 | 69 | Finishing wall with water proofing cement paint in all leads & lift (etc) | 657.93 m2 | 789.95 m2 | 132.02 | 60 per m2 | 7821.20 |
| 4 | 43/38 | 1482 | 71 | Steel wash welded in built up sections breckets & sing lomn (etc) | 8.61 | 8.74 | 0.13 | 10000 per qtl | 1300 |
| | | | | | | | | **योग** | **10044.90** |

अतः उक्त वर्णित अधिक भुगतान का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹10044.90 की वसूली यथाशीघ्र उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) अनुसार संविदाकार से ₹0.15 लाख की वसूली के सन्दर्भ में:—**

उक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलत बिल के साथ संलग्न सीमेन्ट जारी करने व खपत विवरण का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्णित बिल तक सीमेन्ट की थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) 1497.71 बैग बनती है तथा माप पुस्तिका 1482 पृष्ठ 78 पर निष्पादित निर्माण कार्य की दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि दिनांक 27.06.2015 तक संविदाकार को भण्डार से मात्र 1380 सीमेन्ट बैग ही जारी किये गये थे। उक्त वर्णित थ्योरिटिकल खपत

(Theoritical Consumptiolon) में यदि 3**%** मान्य विचलन (Approveed Deviation) को कम कर दिया जाए तब भी सीमेन्ट की वास्तविक खपत 1452.78 अर्थात 1453 बैग से कम नहीं होनी चाहिए थी जबकि वर्णित बिल की अन्तिम रिकार्ड प्रविष्टि (Record Entry) तक मात्र 1380 बैग सीमेन्ट ही संविदाकार को जारी किए गए थे तथा इस प्रकार संविदाकार द्वारा 73 सीमेन्ट बैग की खपत मान्य विचलन (Approved Deviation) से कम की गई थी। अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अनुसार "Over this theoretical Quantity of cement shall be allowed a variation. In the event of it being discovered that the quantity of cement used is less than the quantity ascertained as hehe in before provided Callowing variation on the minus side as stipulated above) the cost of the quantity of cement not to used shall be recovered from the cemtrator on the basis of stipulated issue rate including storage charges and carriage at site." अतः अनुबन्ध के उक्त वर्णित क्लॉज के अनुसार संविदाकार से 73 सीमेन्ट बैग की राशि की वसूली निर्गम दर पर की जानी अपेक्षित है। मण्डल स्तर पर उस समय सीमेन्ट की निर्गमन दर ₹211 प्रति बैग थी। अतः इस प्रकार संविदाकार से कुल ₹15403 (73 बैग x₹211) की वसूली अपेक्षित है, जिसे शीघ्र संविदाकार से करने के उपरान्त मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **कार्य का नामः–** C/O Trout Fish Farm at Janjehli, Distt. Mandi, H.P.

SH:- P/L 200 M.M. Dia HDPE Pipe Line including desilting tank

अनुबन्ध संख्याः– 8 ऑफ 2013–14

संविदाकार का नामः– श्री दिनेश वैद्य

माप पुस्तिकाः– 1399 पृष्ठ 84 से 93 तक

अनुमानित राशिः– ₹1496418

आंबटित राशिः– ₹2505733.45

आबंटन पत्र संख्याः– HIMUDA/MD/W-28/2013-1846-54 दिनांक 12.7.2013

चलत बिल संख्याः– पाँचवा चलत बिल

**असुनियोजित योजना के परिणामस्वरूप ₹2.65 लाख की HDPE पाईप के क्रय पर निष्फल व्यय करके मण्डल निधि अवरूद्ध करनाः–**

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा संविदाकार को ₹601875 का सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) (माप पुस्तिका 1399 पृष्ठ 3 से 4) 300 RMT. HDDE Pipe PE 100 NP-10, 200 MM Dia हेतु दिनांक 18.9.2013 को प्रदान किया गया था तथा मौखिक

सूचनानुसार निर्माण कार्य के कार्य क्षेत्र में कमी (Reduction in Scope of work) के कारण पाँचवे चलत बिल तक HDPE Pipe 300 RMT. के स्थान पर 165 RMT ही प्रयोग की गई एवं शेष 135 मी0 में से 132 RMT पाईप का भुगतान ₹264825 संविदाकार को करके HDPE पाईप को निर्माण मण्डल के भण्डार में ले लिया गया किन्तु निर्माण मण्डल द्वारा उक्त निर्माण कार्य का कार्यक्षेत्र कम करने (Reduction in Soope of work) से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतिलिपी वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही कार्य की साईट ऑर्डर बुक (site order Book) में इस सन्दर्भ में कोई प्रविष्टि पाई गई जिसके अभाव में कार्य के scope को कम करना एक गम्भीर अनियमितता है।

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित अनियमितता के कारण निर्माण मण्डल को बिना किसी प्रयोजन के HDPE Pipe के अनावश्यक क्रय पर ₹264825 का निष्फल (unfruitful) व्यय करना पड़ा जिससे निर्माण मण्डल की निधि अवरूद्ध हुई है, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय स्त्तर पर पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त उक्त वर्णित अनियमितता हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करके सम्बन्धित दोषी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त भण्डार में ली गई ₹264825 की 132 Rmt HDPE Pipe का शीघ्र उचित उपयोग/निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण मण्डल का कोई नुकसान न हो और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **कार्य का नामः–** Construction of School Building under RMSA in H.P.

SH. C/O Block of 2 No. Class Rooms including internal WS & SI at Govt. High School, Block, District Hamirpur, H.P

अनुबन्ध संख्याः– 40 ऑफ 2012–13

संविदाकार का नामः– श्री योग राज शर्मा

माप पुस्तिकाः– 1275 पृष्ठ 33 से 49 तक 1269 पृष्ठ 89 से 96 तक व 1274

अनुमानित राशिः– ₹3349400

आबंटित राशिः– ₹3827386

आंबटन पत्र संख्याः– HIMUDA/MD/W-28/2012-4091-4100 दिनांक 24.9.2012

चलत बिल संख्याः– सातवां चलत बिल

**संविदाकार से अनुबन्ध के क्लॉज–2 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थ दण्ड में से लगाए गए ₹2.83 लाख की वसूली शेष पाया जानाः–**

संविदाकार को पत्र संख्या HIMUDA/SE (N)/D/Shala Clause-2Hages/Sh. Yog Raj/13-2027-30 दिनांक 22.11.2013 द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण न

करने के कारण आबंटित राशि के 10**%** की दर से ₹382739 का अर्थदण्ड (Penality) लगाया गया था। किन्तु सातवें चलत बिल तक संविदाकार से मात्र ₹100000 के अर्थ दण्ड की ही वसूली की गई थी जबकि ₹282739 की वसूली अभी शेष थी। इस प्रकार अर्थदण्ड (Panality) लगाए जाने के उपरान्त लगभग दो वर्षों का समय बीत जाने पर भी पूर्ण वसूली न करने से स्पष्ट विदित होता है कि ठेकेदार को निर्माण मण्डल के खजाने की कीमत पर अनुचित लाभ पहुँचाया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए शेष अर्थ दण्ड राशि की शीघ्र वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**14** **कार्य का नामः–** Tourist Development Activities in Sarkaghat Area in District Mandi

Sh.:- C/O Parking facility by laying ground floor slab only including channelization of Nallah at Ghumarwin in District Bilaspur.

अनुबन्ध संख्याः– 8 of 2015-16

संविदाकार का नामः– श्री सुरेन्द्र कुमार

माप पुस्तिकाः– 1532, पृष्ठ 1 से 11 तक

अनुमानित राशिः– ₹984736

आंबटित राशिः– ₹1314232

आबंटन पत्र संख्या HIMUDA/MD/W-28/2014-5598-5606 दिनांक 19.01.2015

चलत बिल संख्या प्रथम चलत बिल

उक्त वर्णित निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(क) प्रथम चलत बिल के भुगतान उपरान्त वर्णित बिल के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्य हेतु भण्डार से संविदाकार को सीमेन्ट जारी करने सम्बन्धी अनियमितताः–**

उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल के साथ संलग्न खपत विवरण अनुसार प्रथम चलत बिल तक संविदाकार द्वारा 278.67 बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाई गई थी एवं उनसे 280 बैग सीमेन्ट की राशि की वसूली की गई थी। माप पुस्तिका 1532 पृष्ठ 4 अनुसार प्रथम चलत बिल की अन्तिम रिकार्ड प्रविष्टि (Record Entry) दिनांक 30.5.2015 को की गई है एवं पृष्ठ 6 अनुसार दिनांक 5.6.2015 को उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल की भुगतान प्रविष्टियाँ की गई है तथा उक्त बिल के साथ संलग्न संविदाकार को जारी किये सीमेन्ट के विवरण अनुसार उन्हें सीमेन्ट निम्नविवरणानुसार जारी किया गया है।

| क्र0सं0 | इन्डैन्ट सं0 | दिनांक | मात्रा | बिल कार्ड 378 अनुसार स्टोस से निर्माण कार्य को सीमेन्ट जारी करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9274 | 14.5.2015 | 180 बैग | 14.5.2015 |
| 2 | 9280 | 5.6.2015 | 180 बैग | 9.7.2015 |
| | | **योग** | **360 बैग** | |

उपरोक्त दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि संविदाकार को जारी किये गये कुल 360 बैग सीमेन्ट में से 180 बैग सीमेन्ट उन्हें प्रथम चलत बिल की रिकार्ड प्रविष्टि (Record Entry) करने के लगभग एक माह उपरान्त जारी किया गया है तथा प्रथम चलत बिल के भुगतान तक मात्र 180 सीमेन्ट बैग ही संविदाकार को जारी किये गये थे जिसके विरूद्ध निर्माण कार्य में 279 बैग सीमेन्ट की खपत दर्शाना न केवल एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है अपितु निर्माण कार्य के तय मापदण्डों से कम मापदण्डों पर किया जाना भी स्वतः स्पष्ट होता है। अतः सम्पूर्ण प्रकरण में विभागीय स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति का पता लगाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख) अनुबन्ध प्रमात्रा से अधिक कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप संविदाकार ₹1.70 लाख का अनियमित भुगतानः–**

उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी आंबटन पत्र के साथ संलग्न Terms & Conditions क्रमांक 6 के अनुसार "No Deviation is permissible at sight without prior written approval of the competent authority." किन्तु इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कार्य मदों का निष्पादन टेण्डर में दी गई प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा में करने के कारण प्रथम चलत बिल तक ही संविदाकार को ₹169572.20 का अनियमित भुगतान किया जा चुका था जबकि वर्णित कार्य मदों की अधिक प्रमात्रा के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप यह अधिक व्यय अनुबन्ध की मान्य शर्तों का सीधा उल्लंघन था। अतः अनुबन्ध मे निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा का भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर संविदाकार को करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए व्यय की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

| क्र0 सं0 | मद सं0 | मद का विवरण | टैण्डर अनुसार निष्पादित की जाने वाली मात्रा | निष्पादित मात्रा | अधिक निष्पादित मात्रा | दर (₹) | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Excavation infountation etc in earth work in all leads & lifts | 210.75 M3 | 302.99m3 | 92.24m3 | 280 per m3 | 25827.20 |
| 2 | 3 | P/L C.C. 1:4:8 and curing in all leads & lifts | 8.44 m3 | 19.65m3 | 11.21m3 | 3800 per m3 | 42598.00 |
| 3 | 8 | Pipe C.C. 1:5:10 with 15% Plum in all leads & lifts | 46.12m3 | 70.79m3 | 24.67m3 | 4100 per 3m | 101147.00 |
| | | | | | | **योग** | **169572.20** |

**15** **कार्य का नामः—** Partially self financing scheme at Hamirpur

Sh. Construction of 12 No. Cat-I & 12 Nos Cat-II Flats with parking floor including internal and external services & Development of site .

अनुबन्ध संख्याः— 15 of 2014-15

संविदाकार का नामः— मै0 कुमार एसोसिएटस

माप पुस्तिकाः— 1456, 1454, 1453, 1457, 1458, 1455, 33—65, 98—99, 1—28, 37—56, 48—82, 64—88

अनुमानित राशिः— ₹42853249

आंबटित राशि :— ₹44425914

आंबटन पत्र संख्याः— HIMUDA/MD/W-28/2013-5301-11 दिनांक 20.01.2014

चलत बिल संख्याः— चतुर्थ चलत बिल

**गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1560 का अधिक भुगतान करनाः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कार्य मद संख्या 9 (C) “P/L Machenically Mixed Viberated reinforced concrete of mixed design in all leads & lifts in suspended floors, roofs in all heights की निष्पादित कार्य प्रमात्रा का योग/गणना 24.54 m3 बनता है जबकि इसे 24.94m3 दर्शाया गया था माप पुस्तिका 1458 पृष्ठ 62 जोकि 0.40 m3 अधिक था जिसका संविदाकार को ₹3900 m3 की दर से ₹1560 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः वर्णित अधिक भुगतान राशि की वसूली संविदाकार से करने के उपरान्त मण्डल के खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथ अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**16** **कार्य का नामः—** C/O Additional Accomodation to the office of Deputy Director of Elmentary Education, Jail Road, Mandi

अनुबन्ध संख्याः— 38 ऑफ 2011—12

संविदाकार का नामः— श्री चेतन वैद्य

माप पुस्तिकाः— 1398, पृष्ठ 4 से 35

अनुमानित राशिः— ₹3682647

आंबटित राशिः— ₹3216560

आबंटन पत्र संख्याः— HIMUDA/MD/W-28/2010-8817-27 दिनांक 25.2.2010

चलत बिल संख्या छठा एवं अन्तिम बिल

उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित छठे व अन्तिम भुगतान बिल का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

**(क)** अभिलेख अनुसार उक्त निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट की कुल थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) 1332.32 था 1333 बैग थी जिसके विरूद्ध संविदाकार को भण्डार से 1305 बैग सीमेन्ट जारी किया गया था तथा जिसकी वसूली उसके अन्तिम भुगतान बिल तक कर ली गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार को जारी कुल 1305 सीमेन्ट बैग में से 35 सीमेन्ट बैग दिनांक 21.01.2013 को जारी किये गये थे जबकि प्रस्तुत अभिलेख अनुसार कार्य दिनांक 16.01.2013 को पूर्ण हो चुका था तथा इस प्रकार मण्डल/उपमण्डल द्वारा कार्य के पूर्ण होने के पाँच दिन उपरान्त बिना किसी औचित्य के भण्डार से 35 बैग सीमेन्ट संविदाकार को जारी किया गया दर्शाया है जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि ऐसी परिस्थिति मे वर्णित 35 बैग सीमेन्ट के दुर्विनियोजन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने तक संविदाकार को भण्डार से 1270 बैग सीमेन्ट ही जारी किया गया था तथा इसमे यदि 3**%** की मान्य विचलन (Approved Deviation) जमा कर दी जाए तो सीमेन्ट की थ्योरिटिकल खपत (Theoritical Consumption) 1308 सीमेन्ट बैग से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि वर्णित निर्माण कार्य में सीमेन्ट की थ्योरिटिकल खपत 1333 बैग दर्शाई गई है जोकि मान्य विचलन से 25 बैग अधिक है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित पूर्ण प्रकरण को विभागीय स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाए जाने के अतिरिक्त अनुबन्ध के क्लॉज 42 (ii) के अन्तर्गत अतिरिक्त जारी किए गए 35 सीमेन्ट बैग एवं सीमेन्ट की वास्तविक खपत व थ्योरिटिकल खपत में मान्य विचलन (Approved Deviation) उपरान्त

पाये गये 25 सीमेन्ट बैग के अन्तर की वसूली भी संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(ख)** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में 5.32m3 स्टोन मेसनरी (Stone Masonery) के ढहाने (Demolish) का कार्य किया गया है (माप पुस्तिका 1398 पृष्ठ 22) किन्तु इस कार्य से प्राप्त पत्थरों का विवरण MAS में प्राप्ति, उपयोग या मूल्य की ठेकेदार से वसूली इत्यादि का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संशय उत्पन्न होता है कि कहीं वर्णित पत्थरों का दुर्विनियोजन न किया गया हो? अतः परामर्श दिया जाता है कि सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

**17** **कार्य का नामः–** Executiion of Various Deposit works of H.P. state Co-op- Bank Ltd.

Sh: C/O New counters, file flooring oil bound distempering white washing to bank building at Berthin, Distt. Bilaspur

अनुबन्ध संख्याः– 7 ऑफ 2015–16

संविदाकार का नामः– श्री जीवन कुमार

माप पुस्तिकाः– 1279, पृष्ठ 74 से 80

अनुमानित राशिः– ₹278938

आंबटित राशिः– ₹350493

आंबटन पत्र संख्याः– HIMUDA/MD/W-28/2015-1126-34 दिनांक 05.06.2015

बिल संख्या प्रथम चलित बिल

**(क)** संविदाकार द्वारा उक्त वर्णित कार्य के निष्पादन का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उनके द्वारा प्रथम चलित बिल में मद संख्या 16 द्वारा "P/L Demo stome vitrified tiles in grey/Coloured as of approved sholes in sloooring treads of lisht and landing laid on a bed of 12 mm thick cement mortor in 1:3 laid over and jointed with cement slorry in all leads & lifts को 87.72 $m^2$ मात्रा का निष्पादन ₹1610 प्रति m2 की दर से किया गया है। उक्त वर्णित मद के निष्पादन हेतु 0.219 बैग $m^2$ सीमेन्ट की खपत के साथ कुल 18.42 बैग सीमेन्ट का प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। किन्तु प्रस्तुत अभिलेखानुसार इस कार्य के निष्पादन हेतु भण्डार से न तो कोई सीमेन्ट जारी किया गया है और न ही सीमेन्ट की कोई खपत उक्त कार्य में दर्शाई गई थी तथा न ही संविदाकार के प्रथम चलत बिल में सीमेन्ट की राशि की कोई कटौती ही की गई थी और न ही संविदाकार द्वारा खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय करके निर्माण कार्य में प्रयोग का कोई प्रमाण ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया

था जिससे संशय उत्पन्न होता है बिना सीमेन्ट के उक्त वर्णित कार्य का निष्पादन कैसे सम्भव हुआ।

अतः उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य मद संख्या 22 "Distempering (One coat) with oil distempering of approved quantity in all leads & lifts" का प्रथम चलत बिल तक 307.12 $m^2$ मात्रा का निष्पादन किया गया है जबकि अनुबन्ध अनुसार प्रस्तावित कार्य प्रमात्रा 214.07 $m^2$ निष्पादित की जानी अनुमोदित थी। इस प्रकार 93.05m2 अर्थात 43.47**%** अधिक कार्य प्रमात्रा का निष्पादन किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त अधिक कार्य प्रमात्रा के निष्पादन हेतु मण्डल द्वारा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी जबकि आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार "No deviation is permissible at site without written approval of the competent authority."

अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 18 वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीमेन्ट एवं स्टील के क्रय हेतु जारी अग्रिम ₹143.58 लाख का समायोजन न करनाः–

हिमुडा निर्माण मण्डल मण्डी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीमेन्ट व स्टील की खरीद हेतु दिये गये विभिन्न अग्रिम राशियों से सम्बन्धित **"परिशिष्ट–ज व झ"** द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को सीमेन्ट के क्रय हेतु ₹9152060 एवं मै0 सूद स्टील इण्डस्ट्रीज कन्दरौड़ी को स्टील के क्रय हेतु ₹5205808 का अग्रिम भुगतान किया गया था, किन्तु इन अग्रिम राशियों का समायोजन वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि नियमानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक वर्णित समस्त अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए समस्त अग्रिमो का शीघ्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 19 कान्ट्रेक्टर लैजर का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान भण्डार से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को समय–समय पर भण्डार से

निर्माण सामग्री जारी की गई थी, परन्तु उसका लेखा–जोखा रखे जाने हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित Contractor Ledger का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में किसी भी संविदाकार को अधिक एवं अनुचित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण द्वारा यह अनियमितता पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 2014–15 के पैरा संख्या 20 एवं इससे पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार उठाई जा रही है परन्तु इसके बावजूद भी मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह प्रकरण तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है, ताकि किसी भी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

**20 संविदाकारों को ₹4.16 लाख की प्रतिभूति राशि की वापिस करना व भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करनाः–**

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा चयनित मास 7/2015 में निम्न विवरणानुसार ₹416000 की प्रतिभूति राशि (Security Deposit) संविदाकारों को वापस की गई थी परन्तु इससे सम्बन्धित प्रतिभूति रजिस्टर माप पुस्तिका व उनके प्रार्थना पत्र इत्यादि न तो भुगतान वाउचर के साथ संलग्न थे और न ही वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जिसके अभाव में वर्णित भुगतान की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वर्णित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके भुगतान की अपेक्षित सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

| क्र0सं0 | वा0सं0 | दिनांक | संविदाकार का विवरण | राशि (₹) | चैक संख्या व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.07.15 | श्री नारायण दास नायक | 180000 | 025983, 01.07.15 |
| 2 | 60 | 15.07.15 | श्री मनीष नेगी | 60000 | 026009, 15.07.15 |
| 3 | 69 | 17.07.15 | श्री पीताम्बर लाल | 176000 | 026013, 17.7.15 |
| | | | **योग** | **416000** | |

**21 मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मात्रा के दौरान व्यतीत किये गये समय के लिए देय दर से ऊँची दरों पर दैनिक भत्ता का भुगतान करने सम्बन्धी अनियमितताः–**

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या Fin (c) B (7)-1/2209 दिनांक 19.06.2012 के पैरा 4 (5) के अनुसार यात्रा के दौरान व्यतीत किये गये समय के लिए साधारण दर पर दैनिक भत्ता देय है जबकि हिमुडा मण्डल मण्डी के अधिकारियों/कर्मचारियों के चयनित माह 7/15 के दौरान वाउचर संख्या 11 से 13 तक दिनांक 3.7.15 के अन्तर्गत पारित यात्रा भत्ता दावा बिलों की जाँच में पाया गया कि मण्डल

के अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा के दौरान व्यतीत किये गये समय हेतु भी देय दर से ऊँची दरो पर दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। यात्रा भत्ता दावा बिलों में यात्रा के दौरान व्यतीत किये गये समय का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण वर्तमान अंकेक्षण में अधिक भुगतान की राशि की सही गणना नहीं की जा सकी। अंकेक्षण द्वारा इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 012/2017/HIMUDA Mandi दिनांक 27.03.2017 द्वारा यह मामला अधिशासी अभियन्ता, मण्डल मण्डी से उठाकर उक्त राशि की गणना मण्डल स्तर पर करने उपरान्त तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने का आग्रह किया गया था, किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उनसे कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अंकेक्षण द्वारा उक्त अनियमितता पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 2012–13 के पैरा संख्या 15 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन 2014–15 के पैरा संख्या 23 (घ) द्वारा भी उठाई गई थी किन्तु इसके बावजूद भी हिमुडा निर्माण मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा दिनांक 19.6.2012 के उपरान्त ऐसी अनियमितता से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनको यात्रा के दौरान व्यतीत किये गये समय हेतु ऊंची दरों पर स्वीकृत किये गये दैनिक भत्ते (Daily Allowance) के कारण हुए अधिक की गणना मण्डल अपने स्तर पर करने के उपरान्त राशि की वसूली सम्बन्धित से यथाशीघ्र करने के अतिरिक्त भविष्य में अधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक भत्ते का भुगतान नियमानुसार निर्धारित उचित दर से करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**22 मण्डल लेखापाल (Divisional Accountant) को देय दर से अधिक दरो ंपर दैनिक भत्ते का भुगतान करनाः–**

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा स्थाई वेतन (Fix Pay) ₹10000 प्रतिमाह पर श्री लाल सिंह ठाकुर को मण्डल लेखापाल के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके द्वारा वाउचर संख्या 24 दिनांक 7.7.15 के अन्तर्गत लिये गये यात्रा भत्ता दावा बिल का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान मुख्यालय से बाहर यात्रा प्रवास करने पर दैनिक भत्ते के रूप में ₹200 प्रतिदिन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं नियमों अनुसार इन्हें यात्रा/प्रवास के दौरान न्यूनतम दैनिक भत्ता ₹130 प्रतिदिन की दर से देय था। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा यात्रा मे ंव्यतीत किये गये समय के दौरान भी ऊँची दरों पर ही दैनिक भत्ता लिया जा रहा है, जबकि इस अवधि हेतु उन्हें साधारण दरों पर न्यूनतम दैनिक भत्ता देय था। अंकेक्षण द्वारा यह मामला अधियाचना संख्या 010/2017/HIMUDA MANDI दिनांक 23.03.2017 द्वारा हिमुडा मण्डल मण्डी से उठाया गया था, जिसके उत्तर में अधिशासी अभियन्ता ने पत्र

संख्या शून्य, दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उनके द्वारा दैनिक भत्ता उनके अन्तिम वेतन के आधार पर दिया जा रहा है एवं सही है जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योकि वह स्थाई वेतन पर नियुक्त है एवं उन्हें न्यूनतम दैनिक भत्ता सरकार की अधिसूचना अनुसार देय है जैसा कि उनके नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों में भी स्पष्ट किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में या तो अन्तिम वेतन के आधार पर उन्हें यात्रा भत्ता दिये जाने के समर्थन में हिमाचल प्रदेश सरकारी द्वारा जारी आदेशों की प्रति आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके भुगतान को सत्यापित करवाया जाए अन्यथा उनके द्वारा सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि में किये गये प्रवास हेतु अधिक दर से आहरित दैनिक भत्ते के परिणामस्वरूप उन्हे किए गए अधिक भुगतान की गणना मण्डल द्वारा अपने स्त्तर पर करके राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**23 हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा ₹20.22 लाख से निर्मित अधिशाषी अभियन्ता निवास को सात वर्षों से प्रयोग न करने के कारण निष्फल (Infructuous) व्ययः–**

हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार सन्यारड़ कालोनी में ₹20.22 लाख की लागत से अधिशाषी अभियन्ता हेतु निवास का निर्माण दिनांक 30.11.2009 को पूर्ण किया गया था, किन्तु अंकेक्षण अवधि तक इसे प्रयोग में नहीं लाया गया था। मण्डल द्वारा इतनी अधिक राशि का व्यय करने उपरान्त निर्मित किये गये इस भवन का लगभग सात वर्षों से इसे प्रयोग में न लाने के कारण एक तरफ जहाँ धन का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं दूसरी ओर इस पर किया गया ₹20.22 लाख का व्यय निष्फल (Infructuous) हो गया प्रतीत होता है। अतः इस भवन को प्रयोग में न लाये जाने के कारणों व इस पर किए गए ₹20.22 लाख के व्यय की औचित्यता स्पष्ट करते हुए या तो इसका समुचित (Optimum) उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसमें अवरूद्ध राशि को भुनाने हेतु उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि राशि का हिमुडा हित में समुचित उपयोग सम्भव हो सके तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**24 विविधः–**

**(क)** हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा श्री आर0के0 गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता को वाउचर संख्या 5 दिनांक 1.7.2015 द्वारा ₹1921 के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया गया थाः–

| क्र0सं0 | अवधि | राशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6.2015 से लगातार | 780 | स्वयं का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा |
| 2 | 5.6.2015 से लगातार | 958 | पत्नी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा |
| 3 | 13.6.2015 से लगातार | 195 | बेटे का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा |
| | **योग** | **1921** | |

अंकेक्षण को प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उनका मुख्यालय मण्डी में स्थित है एवं उनके द्वारा लिये गये उक्त सभी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे जोनल अस्पताल धर्मशाला के हैं तथा उनके द्वारा दिनांक 1.6.2015 को कार्यालय से किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं लिया गया था, जबकि उनका उस दिन स्वयं का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा ₹780 भी जोनल अस्पताल धर्मशाला से प्राप्त उपचार से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति पता लगाकर नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(ख)** वाउचर संख्या 16 दिनांक 3.7.2015 द्वारा ₹6083 का भुगतान श्री राजेन्द्र कुमार, वर्क इन्सपेक्टर को उनके पिता एवं माता द्वारा हरिहर अस्पताल एवं अनुसंधान सेन्टर, गुटकर जिला मण्डी में करवाये गये उपचार के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे के रूप में किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में न तो सम्बन्धित कर्मचारियों की आश्रितों की सूची (List of Dependents) और न ही उक्त चिकित्सा संस्थान मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं? से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उक्त चिकित्सा संस्थान में करवाये गये विभिन्न परीक्षणों को भी नियमानुसार सरकारी दरों तक सीमित नहीं किया गया था। अतः इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उनके द्वारा विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों की राशि को सरकारी दरो से सीमित करते हुये अधिक भुगतान की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

**(ग)** हिमुडा मण्डल मण्डी द्वारा वाउचर संख्या 61 दिनांक 15.7.2015 के अन्तर्गत ₹10500 का भुगतान मै0 भारत इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी बिलासपुर को उनके बिल संख्या 0785 दिनांक 24.6.2015 के एवज में Printer क्रय करने हेतु किया गया था। अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त क्रय से पूर्व न तो नियमानुसार निर्धारित निविदायें ही आमन्त्रित की गई थी और न ही क्रय किए गए प्रिन्टर की स्टॉक प्रविष्टि की गई थी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। क्योंकि इसमें जहाँ निर्माण मण्डल को बाजारीय प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा वहीं प्रिंटर की भण्डार रजिस्टर मे गणना न करने के कारण इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाने के साथ–2 प्रिंटर की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि/गणना भी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**25** **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**26** **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त लम्बित अंकेक्षण पैरों के सम्पूर्ण निपटारे हेतु तुरन्त उचित पग उठाए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172 / 92—खण्ड—12—6335—6337दिनांक,18.10.17 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002.

(2) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, शिमला—171002.

**पंजीकृत** :—(3) अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल निर्माण मण्डल—मण्डी, जिला मण्डी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता / —

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177 2620881

**परिशिष्ट "क"**

## गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 1 (ग) से सन्दर्भित

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के अवधि 04/94 से 03/2015 के बकाया पैरा का विवरण निम्न अनुसार हैः–**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1995**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–5 (1) | निर्णीत | (सुरक्षित अग्रिम की वसूली अभिलेख अनुसार की जा चुकी है) |
| 2 | पैरा–17 (1) | निर्णीत | (क्योंकि केस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दिनांक 29.6.2010 को खारिज हो गया है व अभिलेख की जाँच कर ली गई है) |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 03/2000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–10 | निर्णीत | (10–सी दावा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके पत्र संख्या दिनांक 23.3.2000 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है) |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–17 | निर्णीत | (बोल्डर पत्थरों की दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचलन विवरण (Deviation Statement) द्वारा अनुमोदित की गई है एवं जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से कर ली गई है) |
| 2 | पैरा–43 | निर्णीत | (अधिक भुगतान किये गये डेपुटेशन अलाउन्स ₹2088 की वसूली वेतन लेजर नं0 8 पृष्ठ 166 द्वारा कर ली गई है) |
| 3 | पैरा–44 | अनिर्णीत | |

**(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |

**(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 | अनिर्णीत | |

**(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 (ख) | निर्णीत | (विचलन विवरण (Deviation Statement) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके पत्र दिनांक 17.1.2016 द्वारा अनुमोदित कर दी गई है इसलिए पैरा समाप्त कर दिया गया) |

**(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 (1 से 4) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–11 (1 से 2) | निर्णीत | (₹52017 की वसूली जर्नल संख्या 3 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से करने उपरान्त पैरा निरस्त किया जाता है) |
| 4 | पैरा–14 (1 से 4) | निर्णीत | (क्योंकि अन्तिम बिल अनुसार मद संख्या 2 कार्यान्वित नहीं की गई है एवं सीमेन्ट की वसूली अभिलेख अनुसार सही है तथा बोल्डर पत्थरों की वसूली जाँचने उपरान्त पैरा समाप्त किया जाता है) |

**(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–11 (2) | निर्णीत | (₹202 की वसूली रसीद संख्या 33038 दिनांक 26.11.2009 द्वारा कर ली गई है एवं इसकी पुष्टि अभिलेख से कर ली गई है) |
| 3 | पैरा–12 | निर्णीत | (क्योंकि उक्त आपत्ति अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2000 से 3/2001 के पैरा संख्या 44 में भी लम्बित है इसलिए यहाँ इसे समाप्त किया जाता है) |
| 4 | पैरा–13 | निर्णीत | (वास्तविक स्थिति वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित की गई है, इसलिए पैरा निरस्त किया जाता है) |

**(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–7 (1) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |
| 2 | पैरा–7 (2) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | पैरा–7 (3) | अनिर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत पैरा निर्णीत किया जाता है) |
| 4 | पैरा–9 (1 से 4) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत पैरा निर्णीत किया जाता है) |
| 5 | पैरा–11 (2 से 4) | निर्णीत | (मण्डल द्वारा दिये गये उत्तर के दृष्टिगत पैरा निणीत किया गया) |
| 6 | पैरा–18 | निर्णीत | (मण्डल द्वारा किये गये उत्तर के दृष्टिगत पैरा निर्णीत किया गया) |
| 7 | पैरा–21 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–22 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |
| 9 | पैरा–24 (i) से (iii) | निर्णीत | (₹295 की वसूली की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से करने उपरान्त पैरा निर्णीत किया जाता है) |
| 10 | पैरा–26 | अनिर्णीत | |

**(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–8 (i) (ए से सी) | निर्णीत | (₹3348 की वसूली जर्नल संख्या 2 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है अतः पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत किया जाता है) |
| 2 | पैरा–8 (ii) (ए से बी) | निर्णीत | (₹371 की वसूली जर्नल संख्या 13 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है।) |
| 3 | पैरा–8 (iii) (ए) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |
| 4 | पैरा–8 (iv) (ए) | निर्णीत | (₹50 की वसूली जर्नल संख्या 1 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से करने उपरान्त) |
| 5 | पैरा–9 (i) से (iv) | निर्णीत | (अतिरिक्त मदों व प्रतिस्थापित मदों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.5.2010 को प्रदान की गई है, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख से कर ली गई है) |
| 6 | पैरा–11 (i) से (iii) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–12 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | पैरा–13 (i) से (iv) | निर्णीत | (क्योंकि अन्तिम बिल सक्षम प्राधिकारी की विचलन एवं प्रतिस्थापित मदों के अनुमोदन/स्वीकृति उपरान्त पारित किया गया है, जिससे सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली गई है) |

**(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 (क) | निर्णीत | (₹35544 के विरूद्ध रसीद संख्या 0074832 दिनांक 14.12.12 द्वारा ₹35650 की वसूली कर ली गई है, एवं जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 115 पर की गई है) |
| 2 | पैरा–7 (i) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |
| 3 | पैरा–7 (ii) (iii) (iv) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–7 (vi) | निर्णीत | (₹1670.80 की वसूली जर्नल संख्या 21 वर्ष 2011–12 द्वारा कर ली गई है) |
| 5 | पैरा–7 (vii) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–7 (xii) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–7 (xiii) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत एवं समायोजन बिल 15, 16 व 17 माह 03/2010 की जाँच उपरान्त) |
| 8 | पैरा–7 (xv) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–9 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत एवं पैरा सुझावात्मक है तथा विचलन अन्तिम बिल पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है) |
| 11 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–11 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत व अब फोटोस्टेट रजिस्टर का रख रख रखाव किया जा रहा है) |
| 13 | पैरा–12 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) |

**(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–7 (i) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–12 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत) व "Methods of Measurement of Building and civil Engineering works Part 2 Earth work के पैरा 4.1 (क) अनुसार वीप होल्स की कटौती नहीं की जाती है |
| 5 | पैरा–12 (i) | निर्णीत | |
| 6 | पैरा–12 (ii) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–13 | निर्णीत | (मण्डल द्वारा दिये गये उत्तर व अभिलेख अनुसार सर्विसेवल/प्रयोग योग्य सामान सम्बन्धित विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है) |
| 8 | पैरा–14 | निर्णीत | (आगामी व वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित किया गया है) |
| 9 | पैरा–15 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–16 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–17 | निर्णीत | (₹5628 की वसूली रसीद संख्या 0163845 दिनांक 09.5.2016 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 89 द्वारा कर ली गई है) |

**(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 (ख) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–7 (i) (क, ख, ग) | निर्णीत | (₹330626.30 की वसूली माप पुस्तिका 1391, पृष्ठ 85 अनुसार संविदाकार के बीसवें चलत बिल 20th Running Bill से कर ली गई है जिसकी पुष्टि उपरान्त उक्त पैरे निर्णीत किये गये) |
| 3 | पैरा–7 (ii) (क से ङ) | निर्णीत | |
| 4 | पैरा–7 (iii) (क, ख) | निर्णीत | |
| 5 | पैरा–7 (iv) (क) | निर्णीत | |
| 6 | पैरा–7 (v) (क से घ) | निर्णीत | |
| 7 | पैरा–7 (vi) (क, ख) | निर्णीत | |
| 8 | पैरा–7 (vii) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | पैरा–8 (क) | निर्णीत | (₹10243 की वसूली जर्नल संख्या 6 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 10 | पैरा–8 (ख) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत व Methods of Measurement of Building & Civil Engineering Works Part 1 Earth work पैरा 4. 1.8 (क) के अनुसार वीप होल्स की कटौती नहीं की जानी है) |
| 11 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–11 | निर्णीत | (₹429 की वसूली जर्नल संख्या 7 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 14 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–15 | अनिर्णीत | |

**(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 | निर्णीत | (आगामी/वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 2 | पैरा–8 | निर्णीत | (आगामी/वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित) |
| 3 | पैरा–9 (i) से (viii) | निर्णीत | (गलत गणना के कारण किये गये अधिक भुगतान ₹56843 की वसूली जर्नल संख्या 17 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 4 | पैरा–10 (i) | निर्णीत | (₹2560 की वसूली जर्नल संख्या 18 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 5 | पैरा–10 (ii) | निर्णीत | (₹2986 की वसूली जर्नल संख्या 16 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | पैरा–10 (iii) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–10 (ख) (iv) | निर्णीत | (गलत गणना कर किये गये अधिक भुगतान ₹245 की वसूली जर्नल संख्या 14 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 8 | पैरा–11 (i) (ii) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–13 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा–15 (i) | निर्णीत | (श्री जगत राम को दिये गये अधिक दैनिक भत्ता की वसूली उनसे रसीद संख्या 0163126 दिनांक 31.3.2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 13 | पैरा–15 (ii) | निर्णीत | (श्री नन्द लाल को दिये गये अधिक दैनिक भत्ता की वसूली रसीद संख्या 0163125 दिनांक 31.3.2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 14 | पैरा–16 | निर्णीत | (सवमर्सीवल पम्प की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच उपरान्त पैरा निर्णीत किया गया) |
| 15 | पैरा–17 | अनिर्णीत | |

**(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा–11 | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा–12 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा–13 | निर्णीत | (₹21600 की वसूली संविदाकार से माप पुस्तिका 1389 पृष्ठ 80 में उनके नवम चलत बिल से करने की पुष्टि उपरान्त) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पैरा–14 | निर्णीत | (₹14998 की वसूली रसीद संख्या 0163846 दिनांक 9.5.2016 श्री राकेश पाल राणा से कर ली गई है) |
| 8 | पैरा–15 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत कि वीप होल्स की कटौती नहीं की जानी थी ) |
| 9 | पैरा–16 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा–17 | निर्णीत | (₹1453 की वसूली जर्नल संख्या 5 माह 03/2017 द्वारा श्री नरेश कुमार ठेकेदार से कर ली गई है) |
| 11 | पैरा–18 | निर्णीत | (श्री अमृत लाल से ₹650 की वसूली जर्नल संख्या 4 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 12 | पैरा–19 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–20 | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–21 | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा–22 | निर्णीत | (दिये गये उत्तर के दृष्टिगत कि विश्राम गृह व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग न करके कर्मचारियों हेतु एक सुविधा के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं इसकी दरें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है) |
| 16 | पैरा–23 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–26 | निर्णीत | (फोटोस्टेट मशीन के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच उपरान्त) |
| 18 | पैरा–27 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |
| 19 | पैरा–28 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |
| 20 | पैरा–29 | अनिर्णीत | |

**(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–4 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |
| 2 | पैरा–5 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | पैरा–6 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |
| 4 | पैरा–7 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण मे ंपुनः प्रारूपित) |
| 5 | पैरा–8 (क) | निर्णीत | (₹21027.80 की वसूली संविदाकार से जर्नल संख्या 9 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 6 | पैरा–8 (ख) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–8 (ग) | निर्णीत | (₹18718 की वसूली जर्नल संख्या 10 माह 03/2017 द्वारा सम्बन्धित से कर ली गई है) |
| 8 | पैरा–9 | निर्णीत | (₹9412 की वसूली संविदाकार से उनके छठे चलत बिल माप पुस्तिका 1612 पृष्ठ 23 द्वारा कर ली गई है) |
| 9 | पैरा–10 (क व ख) | निर्णीत | (₹19493 की वसूली संविदाकार से जर्नल संख्या 11 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 10 | पैरा–11 (क) (ख) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा–12 (क) | निर्णीत | (₹11357 की वसूली जर्नल संख्या 8 माह 03/2017 द्वारा कर ली गई है) |
| 12 | पैरा–12 (ख) | निर्णीत | (अन्तिम बिल का भुगतान सक्षत प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया गया है एवं विचलन की स्वीकृति उनके द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/CE/DB/Fisheries 17 D DIVN/016-Vol-111 29434–35 दिनांक 04.03. 2017 द्वारा प्रदान की गई है) |
| 13 | पैरा–12 (ग) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा–13 (क) | निर्णीत | (दिये गये उत्तर एवं सम्बन्धित अभिलेख की जाँच एवं पुष्टि उपरान्त) |
| 15 | पैरा–13 (ख), (ग) (घ) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा–14 (क) (ख) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा–15 (क, ख, ग) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा–16 (क, ख) | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | पैरा–17 (क, ख) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा–18 | निर्णीत | (अंकेक्षणानुसार अपेक्षित कार्यवाही की सत्यापना उपरान्त) |
| 21 | पैरा–19 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा–20 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित) |
| 23 | पैरा–21 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा–22 (क, ख) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा–23 (क, ख, ग, घ) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा–24 | अंशतः निर्णीत | |

**(थ) नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरेः–**

**(i) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/1998**

पैरा–22 (9) अनिर्णीत

**(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 15.01.2001**

पैरा–51 अनिर्णीत